

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2022 – प्रार्थना पत्र

- | | | |
|---|------------|--|
| 1. वन्दना देवी पत्नि रितुराज पाण्डे
निवासी पथिक नगर, बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. सचिव, ग्राम पंचायत उमा जी का
खेड़ा, पंचायत समिति मांडलगढ जिला
भीलवाड़ा।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति
माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा। |
| | – निगराकार | – गैर निगराकार |

प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पालना आदेश दिनांकित 26.09.2013 न्यायालय
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा

उपरिथत –

1. अधिवक्ता श्री अरविंद शर्मा – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-
प्रार्थीया ने एक निगरानी क्रमांक 93/2013 न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष
अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत दिनांक 22.04.2013 को प्रस्तुत
कर निवेदन किया गया कि दिनांक 29.03.2004 को पट्टा क्रमांक 3958 पत्रावली संख्या 19
दिनांकित 15.09.2006 के कम में ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया द्वारा
प्रकाशचन्द्र पिता सुन्दर लाल लुहाड़ियां, निवासी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा के पक्ष में
ग्राम फतहपुरा मे एक भूखण्ड नपती 25 गुणा 100 फीट का पट्टा जारी किया गया।
प्रार्थीया ने निगरानी में यह निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने मे
पंचायतीराज सामान्य नियम की कोई पालना नहीं की एवं 75 प्रतिशत चारागाह हिस्सा एवं
25 प्रतिशत हिस्सा नेशनल हाइवे 76 की भूमि में एवं चारागाह भूमि खसरा संख्या
381/10 में उक्त पट्टा क्रमांक 3958 प्रकाशचन्द्र पिता सुन्दर लाल लुहाड़ियां, के नाम जारी
कर दिया जो नियमों के विरुद्ध होने से खारिज किया जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा
प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी क्रमांक 93/2013 दिनांकित 22.04.2013 को



प्रस्तुत करने को विवश होना पड़ा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा निगरानी संख्या 93/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2013 की पालना में विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 3958 निर्णय दिनांक 09.12.2006 पत्रावली संख्या 18 दिनांक 15.09.2006 व विक्रय आदेश दिनांक 20.12.2006 के भूखण्ड नपती 25 गुणा 100 फीट जो कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पड़ौसों के मध्य स्थित है, के पट्टे को निरस्त कर भूखण्ड का कब्जा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा लिया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.12.2019 को पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि उक्त प्रकरण से संबंधित रिट वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार हैं। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा निगरानी संख्या 93/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2013 की पालना में विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 3958 निर्णय दिनांक 09.12.2006 पत्रावली संख्या 18 दिनांक 15.09.2006 व विक्रय आदेश दिनांक 20.12.2006 के भूखण्ड नपती 25 गुणा 100 फीट जो कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पड़ौसों के मध्य स्थित है, के पट्टे को निरस्त कर भूखण्ड का कब्जा विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा लिया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में संबंध में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार हैं अतः पत्रावली का कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि विपक्षी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.12.2019 अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका जैरकार हैं। जबकि इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.09.2013 को



... में से कोई अनतोष

पारित किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया जावेगा, वह उभयपक्षों पर प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.09.2013 को ही आदेश पारित किया जा चुका है, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा नये सिरे से कोई अनुतोष पारित किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया जावेगा, वह उभयपक्षों पर प्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
मीलवाड़ा